दिल्ली में पेड़ों को कटते हुए देखा?

- घटना की तस्वीरें और वीडियो लें।
- पेड काटने वाले से वन विभाग / डीसी वन विभाग का अनुमति पत्र मांगें।
- यदि उनके पास अनुमति पत्र नहीं है, तो 112 या 100 पर कॉल करें और पीसीआर को स्थान पर पहुंचने के लिए कहें। साथ ही ट्वीट करें (@DelhiPolice)
- जब आप पीसीआर के आने की प्रतीक्षा करते हैं, तो वन विभाग के 1800118600 (ग्रीन हेल्पलाइन) पर कॉल करें और सूचित करें, अथवा दिल्ली सरकार (@AapKaGopalRai) को ट्वीट करें।
- पीसीआर के आने पर उन्हें काम बंद करने और स्थानीय पुलिस के आने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहें।
- स्थानीय पुलिस के आने पर, उन्हें अनुमति की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए वन विभाग को कॉल करने के लिए कहें। यदि अनुमति प्रमाणिक नहीं है या उससे आगे कटाई हो रही है जिसकी अनुमति दी गई है, तो उन्हें दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए कहें और इसकी सूचना वन विभाग को दें।
- अनुरोध करें कि औजार और गिरी हुई लकड़ी को जब्त कर लिया जाए।
- क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे हुआ, इसके विवरण के साथ लिखित शिकायत दें और पुलिस स्टेशन से प्राप्त स्टाम्प के साथ एक प्रति लें।
- कृपया अपने संबंधित संभागीय उप वन संरक्षक (डीसीएफ)/वृक्ष अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी अलग से लिखें।
- वन विभाग से संपर्क करने के लिए यहां क्लिक करें।

शिकायत और तस्वीरें किसी भी मीडिया को भेजें जिसको आप भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर समर्थन के लिए वारिअर मॉम्स को टैग करें या सहायता के लिए हमें लिखें। शिकायतों के सैम्पल हेतु आप वेबसाइट देख सकते हैं।

https://warriormoms.in/